

# वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 18.09.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर", अमर उजाला, भारत एकता टाइम्स, न्यायाधीश, ज्ञानशिखा टाइम्स," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला—दि० 18.09.2025

## सील बेसमेंट खाली कराकर बनेगी पार्किंग

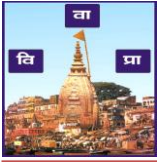
वाराणसी। वीडीए सभागार में बुधवार को वीडीए अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा ने लंबित शमन मानचित्रों की समीक्षा की। उन्होंने सील मामलों की जांच एवं बेसमेंट खाली कराते हुए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि जोन वन के वार्ड शिवपुर, सिकरौल में शमन शुल्क 1,03,02,232 रुपये जमा कराए गए। जोन-2 के वार्ड सारनाथ, आदमपुर, जैतपुरा में शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि 11,39,280 रुपये जमा कराए गए। ब्यूरो

अमर उजाला—दि० 18.09.2025

## वीडीए ने अवैध निर्माण सील कर पुलिस को सौंपा

वाराणसी। वीडीए की ओर से बुधवार को अवैध निर्माण सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंपा। नगवां वार्ड के ट्रॉमा सेंटर के आगे सामनेघाट रोड पर तेज बहादुर सिंह की ओर से बिना मानचित्र स्वीकृत कराए एचएफएल दायरे में 190 वर्गमीटर में अवैध निर्माण कराया जा रहा था। यहां भूतल पर कॉलम का निर्माण कार्य करने पर उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा के तहत नोटिस दिया गया था। बावजूद इसके निर्माणकर्ता की ओर से चोरी छिपे निर्माण कराया जा रहा था। ब्यूरो





# वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

ज्ञानशिखा टाइम्स—दि0 18.09.2025

## जोन-04 में अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही

वाराणसी। वार्ड-नगवों ट्रामा सेन्टर के आगे, सामनेघाट रोड के अंतर्गत तेज बहादुर सिंह व अन्य द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराये एच0एफ0एल0 क्षेत्रान्तर्गत लगभग 190 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में भूतल पर कॉलम का निर्माण कार्य किये जाने पर अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा-27, 28 (द्व) एवं 28 (द्वद्व) के अन्तर्गत पूर्व में नोटिस की कार्यवाही की गयी थी। वर्तमान में स्थल पर निर्माणकर्ता द्वारा चोरी छिपे रात्रिकाल में नोटिस के बावजूद बी+जी+2 तल का निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसे बन्द कराकर आज दिनांक 17/09/2025 को स्थल सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया। मौके पर जोनल अधिकारी संजीव कुमार एवं अवर अभियंता आदर्श निराला तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

भारत एकता टाइम्स—दि0 18.09.2025

## सील प्रकरणों की जाँच एवं बेसमेण्ट खाली कराते हुए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश

वाराणसी (दैनिक मान्यवर)। उपाध्यक्ष के निर्देशों के क्रम में आज वाराणसी विकास प्राधिकरण कक्ष में अपर सचिव डॉ० गुडाकेश शर्मा द्वारा जोन-1 एवं जोन-2 की समीक्षा बैठक की गयी। समीक्षा बैठक के दौरान लम्बित शमन मानचित्रों की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए शीघ्र मानचित्र निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया। जोन-1 के वार्ड शिवपुर, सिकरौल एवं विन्यास में विगत दिनांक 08.09.2025 से दिनांक 14.09.2025 तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि ₹0 1,03,02,232.00 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि ₹0-4,01,31,418.00 एवं



जोन-2 के वार्ड सारनाथ, आदमपुर, जैतपुरा एवं विन्यास में विगत दिनांक 01.09.2025 से दिनांक 14.09.2025 तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि ₹0 11,39,280.00

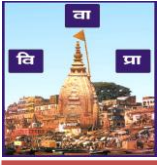
जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष-2025-26 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि ₹0-3,20,29,105.00 जमा कराया गया है। स्वीकृत शमन पत्रावली के सापेक्ष

बकाया शमन शुल्क जमा न करने वाले निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन तथा विधिक कार्यवाही करने को भी जोनल अधिकारी को निर्देशित किया गया। सील प्रकरणों की जाँच एवं बेसमेण्ट खाली कराते हुए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया है एवं सचेत किया गया कि विलम्बतम 01 सप्ताह में जनशिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाय। शहर में हो रहे अनियोजित विकास एवं अवैध प्लॉटिंग का चिन्हांकन करते हुए नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही/ध्वस्तीकरण सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश दिया गया है।



: vcvdavns | Varanasi Development Authority, Janhit Service : janhit.upda.in, E-Tender : etender.up.nic.in

Online Building Plan Approval System : www.upobpas.in, Awas Bandhu, Govt of UP: www.awas.up.nic.in



# वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website: www.vdavns.com

न्यायाधीश-दि० 18.09.2025

वाविप्रा जोन-04 में अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गई



वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा में स्थल पर निर्माणकर्ता द्वारा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में चोरी छिपे रात्रिकाल में नोटिस जोन-04 में अवैध निर्माण के के बावजूद बी०जी०२ तल का विरुद्ध सील की कार्यवाही निर्माण कार्य किया जा रहा था, सम्पादित की गयी। वाई-नगरों जिसे बन्द कराकर आज दिनांक ट्रामा सेन्टर के आगे, सामनेघाट 17/09/2025 को स्थल सील कर रोड के अंतर्गत तेज बहादुर सिंह पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया व अन्य द्वारा बिना मानचित्र गया। मौके पर जोनल अधिकारी स्वीकृत कराये एच०एफ०एल० संजीव कुमार एवं अवर अभियंता क्षेत्रान्तर्गत लगभग 190 वर्गमीटर आदर्श निराला तथा प्रवर्तन दल के क्षेत्रफल में भूतल पर कॉलम सहित समस्त सुपरवाइजर उपस्थित का निर्माण कार्य किये जाने पर रहे। उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा आम जन अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध मानस से अपील की गयी है कि 30 प्र० नगर नियोजन एवं विकास वाराणसी विकास प्राधिकरण से अधिनियम, 1973 की सुसंगत मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी धारा-27, 28 (ग) एवं 28 (ग) के भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्तर्गत पूर्व में नोटिस की अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण कार्यवाही की गयी थी। वर्तमान द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

न्यायाधीश-दि० 18.09.2025

वाविप्रा अपर सचिव डॉ० गुडावेश शर्मा द्वारा जोन-1 एवं जोन-2 की समीक्षा बैठक की गयी



वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा के निर्देशों के क्रम में 17.09.2025 को वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी के प्राधिकरण कक्ष में अपर सचिव डॉ० गुडावेश शर्मा द्वारा जोन-1 एवं जोन-2 की समीक्षा बैठक की गयी, समीक्षा बैठक के दौरान

लम्बित शमन मानचित्रों की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए शीघ्र मानचित्र निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया। जोन-1 के वाई शिवपुर, सिकरौल एवं विन्यास में विगत दिनांक 08.09.2025 से दिनांक 14.09.2025 तक शमन शुल्क के

मद में कुल धनराशि रु० शमन धनराशि रु०- 1,03,02,232.00 जमा कराया गया 3,20,29,105.00 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष 2025-26 है। स्वीकृत शमन पत्रावली के सापेक्ष में माह अप्रैल से अभी तक कुल बकाया शमन शुल्क जमा न करने वाले निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध प्रभावी 4,01,31,418.00 एवं जोन-2 के प्रवर्तन तथा विधिक कार्यवाही करने वाई सारनाथ, आदमपुर, जैतपुरा को भी जोनल अधिकारी को निर्देशित एवं विन्यास में विगत दिनांक किया गया। समीक्षा बैठक में जोन- 01.09.2025 से दिनांक 1 के जोनल अधिकारी, श्री शिवाजी मिश्रा, अवर अभियन्ता, श्री रोहित कुमार, भवन लिपिक, श्रीमती वर्तिका दुबे सहित भवन लिपिक, श्री विनोद कुमार यादव एवं समस्त फील्ड कार्मिक उपस्थित रहे।



: vcvdavns f: Varanasi Development Authority, Janhit Service : janhit.upda.in, E-Tender : etender.up.nic.in

Online Building Plan Approval System : www.upobpas.in, Awas Bandhu, Govt of UP: www.awas.up.nic.in